

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

5/25

पञ्जावली पेश। अग्रार्थी स. 1 की ओर से प. 7  
S.D. शर्मा श. ने अंकित की। जांच रिपोर्ट अग्रार्थी ल.  
प्राप्त हुई, जो शा. मिसल की गई। वास्ते पेश। की P.T  
करने वकालतनामा। जवाब दिनांक - 16/06/25  
की पेश हुई।

19.5.25

16/25

पञ्जावली पेश। वकील शर्मा द्वारा अग्रार्थी सख्या 1  
लगायत 3 की तलबी हेतु अपसर् दिए  
जाने पर भी तलबी हेतु केवल एक बार तलबी/  
तलबाना पेश किए हैं, जिनमें तलबी Rvy. Ad से  
करवाए जाने के आदेश दिए जाने पर भी आठबौक  
तक भी Rvy. Ad की प्रति पेश नहीं की है। रास्ते  
की घोषणा चावत प्रकरण में इस प्रकार न्यायालय  
आदेश की पालना नहीं कर, प्रकरण को अनावश्यक  
विलम्बित किया जा रहा है। जो कि उचित नहीं है।  
अग्रार्थी / वकील शर्मा द्वारा न्यायालय आदेशों की समय  
पर पालना नहीं दिए जाने से प्रकरण अहम तकमील  
में खारिज किया जाता है। पञ्जावली फ़ैसल सुभार  
की जाकर बाह्य तकमील नम्बर से कम लेकर डाकिल  
इफतर है।

उपरखण्ड अधिकासी  
दियडोली